भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

चक्रवात ''वरदा'' के बाद चेन्नई हवाईअड्डे पर विमानपत्तन सेवाओं की बहाली

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2016 : चक्रवात ''वरदा'' के आने के 24 घंटे के भीतर चेन्नई हवाईअड्डे पर विमानपत्तन प्रचालन को 13-12-2016 को 05.45 बजे (आई एस टी) पुन: प्रारम्भ कर दिया गया । केवल 12-12-2016 को 09.15 बजे (आई एस टी) से लगभग 22 घंटे के लिए ही प्रचालनों को निलंबित किया गया था ।

12-12-2016 को 07.00 बजे (आई एस टी) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से मौसम संबंधी यह चेतावनी प्राप्त होने पर कि ''वरदा'' नामक भयंकर चक्रवात चेन्नई शहर की ओर आगे बढ़ रहा है और इससे तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने की संभावना है, विमानपत्तन निदेशक एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विमानपत्तन प्रचालन एवं वायु दिक्चालन सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने हवाईअड्डे की सभी एयरलाइनों एवं अन्य स्टेकहोलडरों को स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स(एस ओ पी) /आकस्मिकता योजना के अनुसार संभावित कार्रवाई करने के लिए चेतावनी जारी की ।

ऐहतियाती उपाय के रूप में चेन्नई में दिसम्बर, 2015 माह में आई पिछली बाढ़ के दौरान हुए पूर्व के अनुभव को देखते हुए 46 अनुसूचित उड़ानों को जमीन से भेज दिया गया । सभी छोटे विमानों को भी सुरक्षा की दृष्टि से हैंगर में शिफ्ट कर दिया गया । सभी विमानों, पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिजों, ग्राउंड हैंडलिंग उपकरणों एवं प्रचालन क्षेत्र के वाहनों को सुरक्षित ढंग से बांध दिया गया और पार्क कर दिया गया । राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत की आपूर्ति पूरी तरह सं बाधित हाने के बावजूद सभी अति आवश्यक सुविधाओं को कार्य करने हेतु वापिस लाया गया । तेज-गति से चल रही हवाओं एवं विद्युत की उपलबधता न होने से राडार एंटीना ठप्प हो गया एवं दिक्चालन संबंधी उपकरण बंद गए। इस पूरी अवधि के दौरान सेपरेशन मानकों के लिए अतिरिक्त सेफ्टी मार्जिन्स को काम पर लगाते हुए आपात- कालीन योजना (कंटीन्जेंसी प्लान) का भा वि प्रा द्वारा सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप फ्लाइंग विमान का निर्बाध प्रचालन संभव हो सका ।

चेन्नई हवाई अड्डे से प्रचालन प्रारम्भ करने से पहले कई बार जांच की गई एवं स्टेकहोलडरों के साथ बैठकें की गई तथा मौसम में सुधार आने के बाद सम्पूर्ण विमानपत्तन प्रचालन पुन: प्रारम्भ हुआ और स्थिति सामान्य हुई ।

जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी
विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें
म.प्र. (जनसंपर्क) 011-24622787,9811521881,
सं. 59/2016-17